संख्या- 86/2021/659/71-1-2021-जी-228/2017टी0सी0-1

प्रेषक,

शुभ्रा सक्सेना,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 23 अप्रैल, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु जम्बो सिलेण्डर डी टाइप के क्रय के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/100, दिनांक 21.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 5000 जम्बो सिलेण्डर के क्रय हेतु रू0 7,95,00,000/- की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु 5000 जम्बो सिलेण्डर डी टाइप का क्रय स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती में मेसर्स रिषी इण्टर प्राइजेज द्वारा आपूर्ति किये गये ऑक्सीजन सिलेण्डर के आदेश संख्या-जीईएमसी-511687706464812, दिनांक 11.06.2020 के आधार पर आवश्यक धनराशि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत कैंसर संस्थान, लखनऊ के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0** 7,95,00,000/- **(रूपये सात करोड़ पन्चानवे लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. उक्त जम्बो सिलेण्डर के क्रय के उपरांत कैंसर संस्थान, लखनऊ में भण्डारित किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार उनका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त सिलेण्डरों का क्रय कैंसर संस्थान, लखनऊ के 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण मद से किया जा रहा है। भविष्य में यदि उक्त मद में धनराशि की आवश्यकता होती है तो इसकी प्रतिपूर्ति पुनर्विनियोग के माध्यम से कर लिया जायेगा।
2. सुसंगत नियमों/प्राविधानों का पालन करते हुए नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जाये, समस्त उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता व आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी महानिदेशक, चि0शि0 की होगी।
3. उक्त उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा।
4. मशीन क्रय के उपरांत विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
5. उपकरणों के क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 सम्बन्धित संस्था को यथापेक्षित सहयोग प्रदान कर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया को पूर्ण करके किया जाएगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तथी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि डाकघर/पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
10. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षों में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गयी तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-59-कैंसर संस्थान, लखनऊ 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

4-	यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(शुभ्रा सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या:-86/2021/659(1)/71-1-2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।